## प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक 23.07.2026

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 232/2026 धारा 191(2)/140(1)/103(1) बीएनएस में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 16.07.2026 को थाना दोघट पर वादी देवेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.मोनू पुत्र सुक्के, 2.आकाश पुत्र सुभाष, 3.विशाल पुत्र मदन, 4.जोनी पुत्र राजपाल निवासीगण ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत व कुछ अज्ञात लोग उसके पुत्र छोटू को घर से बुलाकर ले गए तथा हत्या कर दी, जिसका शव ग्राम आजमपुर मुलसम के भट्टे के पानी के गड्डे में मिला है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 232/2026 धारा 191(2)/140(1)/103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

**नोट-** उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 140(1) बीएनएस का लोप व धारा 238(A) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी ।

**कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 232/2026 धारा

**191(2)/103(1)/238(A) बीएनएस में वाँछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

**1-मोनू पुत्र सुक्के निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।**
**2-जोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।**
**2-है0का0 607 सुरेन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत।**
**3-है0का0 239 विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।**

## प्रेस नोट जनपद बागपत

**थाना बडौत** **दिनांक 23.07.2026**

**थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 512/26 धारा 105/238/3(5) बी.एन.एस. में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर सोनालिका बिना नम्बर प्लेट बरामद।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 20.07.2026 को थाना बडौत पर वादी श्री राममेहर पुत्र वैद सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि उसके पुत्र अंकुर की अभियुक्तों 1. विजेन्द्र पुत्र लाला, 2. पुष्पेन्द्र पुत्र सुखपाल, 3.नरेन्द्र पुत्र लाला, 4.अक्षय पुत्र पुष्पेन्द्र निवासीगण ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा उसके पुत्र की धारदार हथियार व ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 512/26 व धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**नोटः-** उक्त अभियोग की विवेचना एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस का लोप कर धारा 105/238/3(5) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गयी है तथा अभियुक्त बोबी पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया।

**कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 512/26 धारा 105/238/3(5) बी.एन.एस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-**

1-विजेंद्र पुत्र लाला निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

2-पुष्पेन्द्र पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

3-बोबी उर्फ नितिन पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरणः-**

- 01 ट्रैक्टर सोनालिका बिना नम्बर प्लेट।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- प्रभारी निरीक्षक श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना बडौत।
2- उ0नि0 श्री राज कुमार थाना बड़ौत।
3- है0का0 139 नीरज कुमार थाना बड़ौत।
4- है0का0 633 रुस्तम कुमार थाना बडौत।
5- है0का0 738 अरुण कुमार थाना बडौत।
6- का0 433 गौरव कुमार थाना बड़ौत।
7- रि0का0 582 वेदप्रकाश थाना बड़ौत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनांक 23.07.2026

**थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।**

**कार्यवाही:-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 517/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

**अर्जुन उर्फ पंकज पुत्र धर्मेन्द्र निवासी गांव बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।**

**बरामदगी का विवरण-**

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत।**

**2-है0का0 735 संदीप कुमार थाना बड़ौत।**

**3-है0का0 432 अनिल नागर थाना बड़ौत।**

**4-है0का0 678 योगेन्द्र कुमार थाना बड़ौत।**

## प्रेस नोट

**थाना दोघट** **दिनाँक- 23.07.2026**

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 238/2026 धारा 64(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 238/2026 धारा 64(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

गौरव पुत्र सोमपाल निवासी सागडी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत।
2- है0का0 748 रामजीलाल थाना दोघट जनपद बागपत।
3- रि0का0 59 पारस शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत

# प्रेस नोट

**थाना खेकडा** **दिनाँक 23.07.2026**

**थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग को दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 255/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**महत्वपूर्ण सूचनाः-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

**राहुल पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम नगला बड़ी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।**

## बरामदगी का विवरणः-

- **01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर।**

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

**1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना खेकड़ा।**
**2-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकड़ा।**
**3-है0का0 189 निशान्त शर्मा थाना खेकड़ा।**
**4-का0 213 दीपक कुमार थाना खेकड़ा।**

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर            दिनाँक 23.07.2026

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 245/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाईल फोन ओप्पो व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्पलेन्डर नं0 UP-16AE-3901  बरामद।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 22.07.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी सुधीर पुत्र दीवान निवासी ग्राम नगला भागत थाना अछलदा जनपद आरैया हाल पता ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि मो0सा0 स्प्लेन्डर सवार 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा उसकी जेव से मोबाईल फोन चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 245/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 245/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्प्लेन्डर नं0 UP-16AE-3901 बरामद हुई है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सागर पुत्र किशोर निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-वंश पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-आजाद उर्फ जादू पुत्र ज्ञानेन्द्र निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

## बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाईल फोन ओप्पो।
- घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्प्लेन्डर नं0 UP-16AE-3901

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-है0का0 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4-है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

**प्रेस नोट**

**थाना खेकड़ा        दिनाँक 23.07.2026**

**ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने मु0अ0सं0 252/26 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद किया गया।**

**संक्षिप्त विवरण :-**

**आवेदक रविन्द्र पुत्र अंतराम निवासी पट्टी अहिरान यादव चौक कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने एक प्रार्थना पत्र** दिया कि **दिनांक 20.07.26 को वादी का पुत्र उम्र करीब 10 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चला गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 252/25 धारा 137(2) पंजीकृत किया गया** था**।**

**कार्यवाहीः-**

**बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 252/26 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा बच्चा उम्र 10 वर्ष को दिल्ली से सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।**

**बरामद करने वाली पुलिस टीमः-**

1-**उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा**

2-**का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकडा**